उत्तराखण्ड शासन

श्रम अनुभाग

अधिसूचना 18 मई, 2023 ई0

संख्या 107/VIII-1/23—147(श्रम)/2001—राज्यपाल, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (अधिनियम संख्या 25 सन् 1976) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 की उपधारा—(6) सपिठत उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (1904 का 01) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके तथा पूर्व में जारी की गई अधिसूचना संख्या 1988/औ0वि0/2001—125 श्रम/2001, दिनांक 23.07.2001 को अधिक्रमण करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त "प्राधिकारी" द्वारा दिए गए किसी आदेश से व्यथित किसी नियोजक या कर्मकार द्वारा निम्न अनुसूची के स्तम्भ—2 में उल्लिखित अधिकारियों के समक्ष स्तम्भ—3 में उल्लिखित क्षेत्रान्तर्गत अपील प्रस्तुत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

अनुसूची

क्र॰सं॰	अधिकारी का पदनाम	क्षेत्राधिकारिता
(1)	(2)	(3)
11/1/	श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड कार्यालय में तैनात उप श्रम आयुक्त।	समस्त उत्तराखण्ड राज्य।
2	उप श्रम आयुक्त, देहरादून।	जनपद देहरादून, टिहरी गढ़वाल एवं उत्तरकाशी।
3	उप श्रम आयुक्त, हरिद्वार।	जनपद हरिद्वार, चमोली, रूद्रप्रयाग एवं पौड़ी गढ़वाल।
4	उप श्रम आयुक्त, हल्द्वानी।	जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा एवं बागेश्वर।
.5	उप श्रम आयुक्त, ऊधमसिंह नगर।	जनपद ऊधमसिंह नगर, चम्पावत एवं पिथौरागढ़।

आज्ञा से, आर0 मीनाक्षी सुन्दरम, सचिव।

In pursuance of the provision of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 107/VIII-1/23-147-Labour/2001, Dated May 18, 2023 for general information.

NOTIFICATION

May 18, 2023

No.107/VIII-1/23-147-Labour/2001--In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 7 of Equal Remuneration Act, 1976 (Act No. 25 of 1976) (hereinafter referred to as the said Act) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (01 of 1904), the Governor is pleased to supercede the notification number: 1988/Industrial Development /2001-125 Labour/2001, dated: 23-07-2001, issued earlier and to grant sanction to any employer or workman aggrieved by any order made by the "authority" appointed under sub-section (1) of section 7 of said Act, may submit their appeal before the Officers mentioned in column-2 for the jurisdiction mentioned against them in column-3 of the following schedule:-

Schedule

S.	Designation of the Officer	Jurisdiction
No.	2022 80	by at
(1)	(2)	
1	Deputy Labour Commissioner posted in the office of Labour Commissioner, Uttarakhand.	Whole state of Uttarakhand.
2	Deputy Labour Commissioner, Dehradun.	District Dehradun, Tehri Garhwal and Uttarkashi.
3	Deputy Labour Commissioner, Haridwar.	District Haridwar, Chamoli, Rudraprayag and Pauri Garhwal.
4	Deputy Labour Commissioner, Haldwani.	District Nainital, Almora and Bageshwar.
5	Deputy Labour Commissioner, Udham Singh Nagar.	District Udham Singh Nagar, Champawat and Pithoragarh.

(4)	By Order,
	R. MEENAKSHI SUNDARAM, Secretary.
	2 जय श्रम आयुक्त, वेशरावृत ।
जनपद हरिद्वार, वमोली, कहप्रयाग एवं पीदी गवबाहा।	
जनपद नेनीवाल, अल्मोद्धा एवं बारोप्रवर ।	
जनपद कथनसिंह नगर, बम्बावत एवं प्रियौरानद।	s एप अम आयुक्त, करामसिंह भगर।

with section 21 of the Utter Pradesh General Clauses Act, 1904 (01 of 1904), the Governor is pleased to supercede the notification number: 1988 Andustrial Development /2001-1251 about /2001, dated: 23-07-2001, lest applica-

टिप्पणी-राजपत्र, दिनांक 10-06-2023, भाग 1 में प्रकाशित। [प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—] ा वार्गान्य lengte vient limdus yem JoA biss to V notices to (1) notices due tebro

पी०एस०यू० (आर०ई०) ०८ श्रम/287-28-07-2023-100 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।